क्रम संख्या–05 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 18 जनवरी, 2011 ई0
पौष 28, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
(विधायी प्रकोष्ठ)

संख्या 212/XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2010
देहरादून, 18 जनवरी, 2011

प0 आ0–02

राज्यपाल, **"भारत का संविधान"** के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श से, उत्तराखण्ड विधान सभा के सचिवीय कर्मचारिवृन्द की भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 2011

भाग – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 2011 है।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड विधान सभा की सेवा विधान सभा सचिवालय की सेवा है, जिसमें समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणी के पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) **"अध्यक्ष"** से सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) **"उपाध्यक्ष"** से सभा का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) **"नियुक्त प्राधिकारी"** से नियम 16 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) **"भारत का नागरिक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो **"भारत का संविधान"** के भाग– दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ङ) **"संविधान"** से **"भारत का संविधान"** अभिप्रेत है;

(च) **"सभा"** से उत्तराखण्ड विधान सभा अभिप्रेत है;

(छ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा का सदस्य"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इन नियमों अथवा इन नियमों के पूर्व लागू नियम अथवा आदेशों के अन्तर्गत सेवा के किसी संवर्ग के किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो अथवा ऐसे पद को धारण कर रहा हो;

परन्तु यह कि मौलिक रूप से नियुक्त इतर समस्त कर्मचारियों के विनियमितिकरण के लिए विधान सभा अध्यक्ष एक चयन समिति का गठन कर सकेंगे, जो ऐसे कर्मचारियों के विनियमितिकरण हेतु सम्यक प्रकिया के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करेगी;

(झ) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ट) **"प्रमुख सचिव/सचिव"** से सभा का प्रमुख सचिव/सचिव अभिप्रेत है;

(ठ) "**सचिवालय**" से सभा का सचिवालय अभिप्रेत है;

(ड) "**सीधी भर्ती**" से :–

(एक) पदोन्नति; अथवा

(दो) राज्य की अन्य सेवाओं में से प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण, के अतिरिक्त भर्ती अभिप्रेत है;

(ढ) "**प्रतियोगिता परीक्षा**" से सेवा में सम्मिलित किसी पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ण) "**भर्ती का वर्ष**" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग – दो

संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) (क) अध्यक्ष के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन सभा का एक पृथक सचिवालय होगा।

(ख) सेवा में प्रत्येक प्रकार के पदों की संख्या वह होगी, जो पदमाप निर्धारण समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निश्चित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तित न कर दिया जाय, उतनी होगी, जो **परिशिष्ट 'क'** में दी गयी है;

परन्तु यह कि –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे तथा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थिगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा;

(ख) राज्यपाल, अध्यक्ष के परामर्श से ऐसे स्थायी और अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझे;

परन्तु यह कि अध्यक्ष, वित्त विभाग के परामर्श के बिना अधिकरियों/कर्मचारियों के ऐसे स्थायी पदों का सृजन छः माह से अनधिक अवधि के लिए कर सकेंगे, जैसा वह सभा के कार्य के लिए आवश्यक और समीचीन समझे।

पदमाप निर्धारण समिति

5. सचिवालय के विभिन्न संवर्गों में पदो का पदमाप निर्धारण निम्नवत् समिति द्वारा किया जायेगा:–

(1) मा0 अध्यक्ष, विधान सभा – **सभापति;**

(2) मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा – **उप सभापति;**

परन्तु यह कि यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उनके स्थान पर विधान सभा का वरिष्ठतम एक सदस्य;

(3) मा0 संसदीय कार्य मंत्री – **सदस्य;**

(4) मा0 वित्त मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि – **सदस्य;**

(5) विधान सभा की लोक लेखा समिति के मा0 सभापति – **सदस्य;**

(6) मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ जनजाति का विधान सभा का एक सदस्य – **सदस्य;**

(7) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा – **सदस्य सचिव;**

इस समिति की गणपूर्ति के लिये चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी;

परन्तु यह कि यदि इस समिति के क्रमांक 3 एवं 4 पर अंकित सदस्य समिति की बैठक में आयोजित किये जाने पर निरन्तर तीन अवसरों पर भी उपस्थित न हों तो उस दशा में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा। समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष वित्त विभाग से परामर्श करने के बाद **परिशिष्ट 'क'** में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हेतु पद या पदों के किसी नये संवर्ग को उसमें जोड़कर समय–समय पर आदेश द्वारा संशोधन कर सकेगा।

भाग – तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

6. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) पदोन्नति द्वारा; या

(ग) सेवा स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति एवं संविलीनकरण द्वारा।

आरक्षण

7. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग – चार

अर्हताएं

राष्ट्रीयता

8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो;

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत के स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीका देशों से प्रवजन किया हो;

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं

9. कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर सेवा में नियुक्त नहीं होगा जब तक कि वह **परिशिष्ट 'ख'** के स्तम्भ तीन एवं चार में क्रमशः सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती के अतिरिक्त पदों के लिये वर्णित योग्यताएं एवं अनुभव को पूर्ण न कर ले।

अधिमानी अर्हता

10. **समूह 'ग'** तथा **समूह 'घ'** के अभ्यर्थी, जिसने :–

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो; या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवेधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय;

परन्तु यह और, कि सभा के अध्यक्ष किसी पद के सम्बन्ध में उसकी अधिकतम आयु सीमा को पांच वर्ष तक शिथिल कर सकते हैं।

चरित्र

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि नियुक्ति अधिकारी, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक योग्यता

14. (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे :–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) (क) <u>विधान सभा रक्षक (पुरूष)</u> पद हेतु निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :–

(एक) — सीने की माप	बिना फुलाये	फुलाने पर
(अ) सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनु0जाति के अभ्यर्थियों के लिए	78.8 से.मी.	83.8 से.मी.
(आ) पर्वतीय मूल/अनु0जनजाति अभ्यर्थियों के लिए	76.3 से.मी.	81.3 से.मी.

<u>नोट–</u> सीने का कम से कम 5 से.मी. फुलाना आवश्यक है।

(दो) — ऊचांई	
(अ) सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	167.7 से.मी.
(आ) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	162.6 से.मी.
(इ) अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	160.0 से.मी.

(ख) <u>विधान सभा रक्षक (महिला)–</u> पद हेतु निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें होनी आवश्यक हैं–

(एक) — ऊंचाई :–	
(अ) सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	152.0 से.मी.
(आ) पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	147.0से.मी.
(इ) पर्वतीय मूल के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	147.0 से.मी.
(दो) — वजन – न्यूनतम	45 किलोग्राम

भाग – पाँच

भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा 15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम 7 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और चयन समिति को सूचित करेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी 16. नियम 4 के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत दिये गये राज्यपाल के आदेशों के अधीन रखते हुए सचिवालय में :–

(क) सभी राजपत्रित पदों पर नियुक्ति नियमानुसार अध्यक्ष द्वारा की जायेगी; और

(ख) शेष सभी पदों पर नियुक्ति नियमानुसार प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अध्यक्ष के आदेशों के अध्यधीन की जायेगी;

परन्तु यह कि यदि इन नियमों के लागू होने से पूर्व किसी पद पर कोई मौलिक नियुक्ति या मौलिक नियुक्ति के प्रयोजन से परिवीक्षा पर राज्यपाल अथवा अध्यक्ष ने नियुक्ति की हो तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में राज्यपाल अथवा यथास्थिति अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी बने रहेंगे।

नियुक्ति के समय अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण :–

(एक) नियम 7 में विहित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा, और

(दो) वह निम्नलिखित विषय में घोषणा प्रस्तुत करेगा —

(अ) यदि सचिवालय में नियुक्त किसी व्यक्ति से वे सम्बन्धित हों तो उससे अपने सम्बन्ध के बारे में;

(आ) ऋण से मुक्त होने के सम्बन्ध में;

(इ) अनुसूची 2 में नियत प्रपत्र में अपनी समस्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में;

(ई) एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र; और

(उ) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1923) को पढ़ लेने तथा सचिवालय की पत्रावलियों के विषय को प्रकट करने के विरूद्ध शास्तियों की जानकारी के संबंध में।

टिप्पणी – उपयुक्त घोषणाएं अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् उसकी चरित्र–पंजिका के साथ रखी जायेगी।